प्रेस नोट दिनांक 28.07.2024

थाना चकिया जनपद चन्दौली

- **चन्दौली पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी व पशु तस्करी निरन्तर कार्रवाई जारी**
- **थाना चकिया पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा 49.200 कि0ग्रा0 अवैध गांजा के साथ पाँच अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार**
- **पुलिस टीम द्वारा थाना चकिया के ग्राम शिकारगंज के पास से किया गया गिरफ्तारी व बरामदगी**
- **बरामद किये गये अवैध गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रूपयें**

चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, डॉ. ओम प्रकाश सिंह पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव के मार्गदर्शन में चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान व मादक पदार्थ के तस्करी की रोकथाम के क्रम में क्षेत्राधिकारी चकिया आशुतोष के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चकिया अतुल कुमार मयहमराह व स्वाट/सर्विलांस टीम प्रभारी हरिनारायण पटेल मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए अभियुक्तों द्वारा 02 स्कोर्पियों में ले जा रहे 49.200 किग्रा0 अवैध गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पुलिस कार्रवाई-

दिनांक 27.07.2024 को थानाध्यक्ष चकिया अतुल कुमार मयहमराह व स्वाट/सर्विलांस टीम प्रभारी हरिनारायण पटेल मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली कि जनपद मिर्जापुर की तरफ से 02 वाहन आ रहे है जिसमे कोई सदिंग्ध वस्तु होने की सम्भावना है। उपरोक्त सूचना पर मौजूदा पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी करके ग्राम शिकारगंज स्थित राजा साहब के पोखरे के पास से दो स्कार्पियो वाहन से कुल 48 बण्डल अवैध गांजा (कुल वजन 49.200 कि0ग्रा0) के साथ 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना चकिया पर मु.अ.सं. 126/2024 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ विवरण-</u>

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे सभी संगठित गिरोह के सदस्य है उन लोगों द्वारा बराबर-बराबर पैसा लगाकर राऊरकेला उडीसा(राऊरकेला में एक व्यक्ति लाकर हम लोगो को एक निर्जन स्थान पर देता है) से भारी मात्रा में गांजा खरीदकर अपने-अपने घर लाते है। जिसे उन लोगों द्वारा अपने वाहनो मे बाक्स बनवाकर , गेट व डिग्गी मे रखकर उसे छिपाकर बिहार ले जाते है और उसे पुडिया बनाकर ऊंचे दामो पर आस-पास के बाजारों मे बेचते एवं बेचवाते है और जो फायदा होता है उसको वे लोग आपस मे बराबर-बराबर बाँट लेते है।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का विवरण-</u>

1.वैलिस्टर सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह निवासी मोहनिया थाना मोहनिया जनपद कैमूर भभुआ बिहार

2.रोहित कुमार सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी धनैछा थाना दुर्गावती जनपद कैमूर भभुआ

3.मयंक कुमार सिंह पुत्र अछैवर सिंह निवासी धनैछा थाना दुर्गावती जनपद कैमूर भभुआ बिहार

4.विवेक किरकेटा पुत्र बिरसा किरकेटा निवासी तरगा थाना बासजोर जनपद सिमडेगा झारखण्ड

5.प्रह्लाद कुमार पुत्र स्व. दयाशंकर राम निवासी कुर्रा थाना मोहनिया जनपद कैमूर भभुआ बिहार

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0 126/2024 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

<u>बरामदगी का विवरण –</u>

1-49.200 कि0ग्रा0 नाजायज गांजा (बाजार मूल्य लगभग-10 लाख रू0)

2-दो स्कार्पियो रजि0 नं0 UP65EH1895 व CG16CQ2686

3-छः मोबाइल – VIVO , HONOR , REDMI , ONE PLUS

4- नगदी- 920 रूपये

<u>गिरफ्तारी करने वाली संयुक्त टीम का विवरण-</u>

1.थानाध्यक्ष अतुल कुमार मयहमराह थाना चकिया जनपद चन्दौली।

2. नि0 हरिनरायण पटेल स्वाट टीम/ सर्विलांस प्रभारी मयहमराह जनपद चन्दौली।